राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3, नरेगा)

क्रमांक एफ 12(13)/ग्रावि./नरेगा/सा.अंके./पद सृजन/2010 /पार्ट–I जयपुर दिनांक 0 8 APR 2015

कार्यालय आदेश

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के प्रभावी कियान्वयन एवं प्रबन्धन हेतु राज्य स्तर पर गठित राजस्थान ग्रामीण रोजगार गांरटी परिषद के अधीन सामाजिक अंकेक्षण निदेशालय हेतु निम्नलिखित सृजित पदों में से केवल कार्यरत संविदा/प्रतिनियुक्त कार्मिकों की समयावधि दिनांक 30.06.2015 तक बढायी जाने की स्वीकृति एतद द्वारा प्रदान की जाती है :–

(अ) राज्य स्तर पर सृजित पद :–

क. सं.	पदनाम	पद पर नियोजन की प्रकृति	स्वीकृत पद	कार्यरत
1	निदेशक, सामाजिक अंकेक्षण	प्रतिनियुक्ति	1	1
2	अतिरिक्त निदेशक, सामाजिक अंकेक्षण	प्रतिनियुक्ति	1	1
3	उप निदेशक, सामाजिक अंकेक्षण	प्रतिनियुक्ति	1	0
4	लेखाधिकारी	प्रतिनियुक्ति	4	1
5	सहायक लेखाधिकारी–I	प्रतिनियुक्ति	3	3
6	सहायक लेखाधिकारी–2	प्रतिनियुक्ति	19	9
7	पीए/स्टेनो	प्रतिनियुक्ति	3	1
8	कनिष्ठ लेखाकार	प्रतिनियुक्ति	4	0
9	प्रोग्रामर	प्रतिनियुक्ति	1	0
10	कम्प्युटर ऑपरेटर	सेवा ऐजेन्सी के माध्यम से	2	2
11	च.श्रे.कर्मचारी	सेवा ऐजेन्सी के माध्यम से	2	2
	कुल		**41**	**20**

(ब) जिला स्तर पर सृजित पद :–

क. सं.	पदनाम	पद पर नियोजन की प्रकृति	स्वीकृत पद	कार्यरत
1	लेखाधिकारी	प्रतिनियुक्ति	33 (प्रत्येक जिले में एक पद)	5

उक्त कार्यरत पदों पर होने वाला व्यय महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त होने वाली राशि के मध्येनजर अनुमत 6 प्रतिशत प्रशासनिक व्यय के अन्तर्गत व्यय सीमित रखा जाना सुनिश्चित किया जावे।

उक्त पदों की समयावधि वृद्धि वित्त विभाग की अन्तर्विभागीय टीप सं0 101501169 दिनांक 27.03.2015 द्वारा प्रदत सहमति के अनुसरण में जारी की गई है।

8/4/15

(रोहित कुमार)
आयुक्त, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, पंचायतीराज विभाग।
5. निजी सचिव, आयुक्त, ईजीएस।
6. निदेशक सामाजिक अंकेक्षण, ग्रामीण विकास विभाग।
7. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–5) विभाग, जयपुर।
8. संयुक्त शासन सचिव (प्रशासन), ग्रामीण विकास (अनुभाग –1) विभाग, जयपुर।
9. परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव, ईजीएस।
10. अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम/द्वितीय) ईजीएस।
11. वित्तीय सलाहकार, राजस्थान ग्रामीण रोजगार गांरटी परिषद्, जयपुर।
12. जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस, समस्त राजस्थान।
13. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त राजस्थान।
14. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस, जयपुर, बाड़मेर।
15. रक्षित पत्रावली।

8/4/15

अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम), ईजीएस